न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

1.निगरानी संख्या–98 / 2011–12
श्री बलजीत –बनाम– श्री नूरा आदि

2.निगरानी संख्या– 144 / 2011–12
श्री फरमान अली –बनाम– श्री नूरा आदि

3.निगरानी संख्या–94 / 2011–12
श्री सहेन्द्रपाल आदि –बनाम– श्री नूरा आदि

उपस्थितिः श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0 अध्यक्ष।

बावत
मौजा सलेमपुर महदूद–प्रथम,
परगना रूड़की, जनपद हरिद्वार।

निर्णय

ये निगरानियाँ सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार द्वारा वाद संख्या–37 / 2007–08 अन्तर्गत धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में पारित निर्णयादेश दिनांक 01–11–2008 के विरूद्व योजित की गई है।

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिपक्षीगण नूरा आदि ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार के न्यायालय में अपने अधिकारों की घोषणा हेतु राज्य सरकार एवं ग्राम सभा के विरूद्व धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया। विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार ने उभयपक्षों की सुनवाई के पश्चात निर्णयादेश दिनांक 01–11–2008 से वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वादीगण नूरा पुत्र इमामूद्दीन, वहीद, नाजर, रसीद पुत्रगण स्व0 बारू, निसार पुत्र बुल्ला, घसीटू पुत्र असगर, हनीफ पुत्र हमीद को खसरा नम्बर 546ख रकबा 0.9730 पर संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया गया। इस निर्णयादेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्तागणों ने उपरोक्त पृथक–पृथक निगरानियां इस न्यायालय में योजित की हैं।

अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुने गये एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावली का अवलोकन किया गया। समान प्रकृति का होने एवं समान पक्षकार होने तथा एक ही निर्णयादेश के विरूद्व योजित उपरोक्त सभी निगरानियों को निस्तारण एक ही निर्णयादेश से किया जा रहा है।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि निगरानीकर्ता ग्राम सभा का सदस्य है और गांव सभा में निहित सभी सम्पत्तियों की बावत चाराजोही करने का अधिकार रखता है, क्योंकि अवर न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है उससे गांवसभा की सम्पत्ति प्रभावित हुई

है जिससे निगरानीकर्ता ने क्षुब्ध होकर निगरानी दायर की है। प्रश्नगत सम्पत्ति धारा–132 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में वर्णित सम्पत्ति है। गांव सभा की भूमि पर अधिकार घोषणात्मक वाद के अन्तर्गत अर्जित नहीं किये जा सकते हैं। अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 01–11–2008 त्रुटिपूर्ण है एवं निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी संख्या–5 से 7 ने तर्क दिया कि निगरानी के विरूद्व आपत्ति 12–06–2012 को दाखिल की गई थी। प्रतिपक्षी संख्या–1 की मृत्यु दिनांक 16–07–2009 एवं प्रतिउत्तरदाता संख्या–2 की मृत्यु दिनांक 18–12–2011 तथा प्रतिउत्तरदाता संख्या–3 की मृत्यु दिनांक 22–11–2008 को हो चुकी थी जिसकी निगरानीकर्ता को पूर्ण जानकारी है। मृत व्यक्तियों के विरूद्व योजित निगरानी पोषणीय नहीं है और निरस्त होने योग्य है। निगरानीकर्ता को मृतक प्रतिउत्तरदातागणों को 90 दिन के अन्दर प्रतिस्थापित करना चाहिए था, परन्तु नियत अवधि के पश्चात 60 दिन और व्यतीत होने के उपरान्त भी प्रतिउत्तरदातागणों को प्रतिस्थापित नहीं किया गया जिसके कारण निगरानी उपशमित हो चुकी है और मृत व्यक्तियों के विरूद्व निगरानी चलाई नहीं जा सकती है। निगरानी उपशमित हो चुकी है।

निगरानी वाद पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। यह सभी पक्षों को स्वीकार है कि निगरानी में प्रतिउत्तरदाता संख्या–1 नूरा की मृत्यु दिनांक 16–07–2009 एवं प्रतिउत्तरदाता संख्या–2 वहीद की मृत्यु दिनांक 18–12–2011 तथा प्रतिउत्तरदाता संख्या–3 नाजर की मृत्यु दिनांक 22–11–2008 को हो चुकी थी। उत्तरदातागण की मृत्यु के उपरान्त भी निगरानीकर्ता द्वारा मृत प्रतिपक्षीगण के विरूद्व निगरानी योजित की गई जो विधि अनुसार पोषणीय नहीं है। विधि में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार मृतक व्यक्तियों के विरूद्व निगरानी नहीं चलाई जा सकती है। निगरानी संख्या–98/2011–12 बलजीत बनाम नूरा आदि में प्रतिउत्तरदाता संख्या–5 से 6 के अधिवक्ता की ओर से दिनांक 12–06–2012 को ही निगरानी में इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की जा चुकी थी कि प्रतिउत्तरदातागण संख्या–1 से 3 की मृत्यु हो चुकी है। इस आपत्ति प्रार्थना पत्र की प्रति अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा उसी तिथि 12–06–2012 को प्राप्त कर प्रतिआपत्ति हेतु समय मांगा गया था। इसके पश्चात 60 दिन और अधिक व्यतीत होने के उपरान्त अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से दिनांक 24–08–2012 को मृतक प्रतिपक्षियों के प्रतिस्थापन हेतु प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो कालबाधित है। इस निगरानी में एक तथ्य यह भी इस न्यायालय के संज्ञान में आया है कि निगरानीकर्ता ने अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 01–11–2008 की प्रमणित प्रति दिनांक 21–05–2012 को प्राप्त की है जबकि निगरानी एवं निगरानी के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र पर 10–05–2012 की तिथि अंकित की गई है। निगरानीकर्ता ने स्वंय निगरानी के पृष्ठ–2 के प्रस्तर–3 में भी इस तथ्य का उल्लेख किया है कि उसे अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 01–11–2008 की जानकारी मई 2012 में हुई जिसकी प्रमाणित प्रति उनके द्वारा दिनांक 21–05–2012 को प्राप्त कर निगरानी इस न्यायालय में दाखिल की गई। इससे यह स्पष्ट

होता है कि निगरानी त्रुटिपूर्ण रूप से प्रस्तुत की गई है। निगरानी में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–05–2012 एवं 19–07–2013 का भी अवलोकन किया गया। न्यायालय आदेशों से वादग्रस्त सम्पत्ति पर गांव सभा एवं राज्य सरकार का हित निहित होने के कारण निगरानी में गांव सभा एवं राज्य सरकार को आवश्यक पक्षकार के रूप में सम्मिलित किए जाने के आदेश पारित किए गए थे, परन्तु निगरानीकर्ता ने न्यायालय आदेश के अनुपालन में गांवसभा एवं राज्य सरकार को निगरानी में आवश्यक पक्षकार बनाये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है। मृतक प्रतिपक्षियों की मृत्यु के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता की ओर से ऐसा कोई ठोस तर्क/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उसे मृतक प्रतिउत्तरदाता संख्या–1, 2 व 3 की मृत्यु की जानकारी इतने विलम्ब से किस प्रकार हुई। निगरानियाँ कालबाधित एवं मृतक व्यक्तियों के विरूद्व पोषणीय नहीं हैं।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में निगरानियां कालबाधित एवं पोषणीय न होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

अतः कालबाधित एवं पोषणीय न होने के कारण उपरोक्त सभी निगरानियाँ निरस्त की जाती हैं।

दिनांकः 17 जून, 2014

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।